राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 15924/2023

निखत अमीन पुत्र श्री अमीनुद्दीन, आयु लगभग 29 वर्ष, बिलाल कॉलोनी, मोहल्ला घोल, टोंक, राजस्थान 304001.-----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, सचिवालय, उदयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

4. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (राजस्थान), कार्यालय का पता - कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान माध्यम से----उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:-श्री सुशील बिश्नोई।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिए:- श्री पंकज शर्मा, ए. ए. जी. (आर 1-3) के साथ श्री धैर्यादित्य सिंह, श्री धनंजय परमार (आर 4)

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

15.01.2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, विधवाओं/तलाकशुदा के लिए सामान्य (महिला) श्रेणी में उर्दू में शिक्षक ग्रेड III स्तर II के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार न करने से उत्पन्न होती है।

याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन किया गया मामला यह है कि उसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार विधवा/तलाकशुदा श्रेणी के लिए संयुक्त कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ता ने तलाकशुदा श्रेणी में पद के प्रश्न के लिए आवेदन किया है।

2. पहले स्पष्ट तथ्यों का उल्लेख किया जाये,जैसा कि याचिका में वर्णन किया गया है-

2.1 प्रत्यर्थी भर्ती एजेंसी ने शिक्षक ग्रेड III स्तर II (उर्दू) के लिए दिनांक 16.12.2022 को एक विज्ञापन जारी किया। पात्र होने के कारण याचिकाकर्ता ने महिला तलाकशुदा श्रेणी के तहत उक्त पद के लिए आवेदन किया।

2.2 प्रत्यर्थी भर्ती एजेंसी ने दस्तावेज़ सत्यापन के लिए एक अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों की योग्यता सूची जारी की, और याचिकाकर्ता को भी इसके लिए बुलाया गया। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, प्रतिवादी भर्ती एजेंसी ने अंत में चयनित उम्मीदवारों के परिणाम को संबंधित श्रेणियों के कटऑफ अंकों के साथ 18.09.2023 को प्रकाशित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया था।

2.3 यह भी तर्क दिया जाता है कि 711 विज्ञापित पदों में से 13 पद विधवाओं के लिए और 1 पद तलाकशुदा श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया था। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि विधवा श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को तलाकशुदा श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

2.4 अंतिम परिणाम में, 14 आरक्षित पदों में से केवल 11 पद सामान्य विधवा श्रेणी में भरे गए थे, और विज्ञापन/नियम के अनुसार, शेष पदों को सामान्य तलाकशुदा श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए था।

2.5 याचिकाकर्ता ने 197.1944 अंक प्राप्त किए हैं। सामान्य

महिला तलाकशुदा श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक 203 तय किए गए हैं। हालांकि, विधवा श्रेणी में कट ऑफ कम यानी 110 है। उन्हें सामान्य महिला विधवा श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया गया है, भले ही उनके पास विधवा श्रेणी में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक हैं, जहां उपयुक्त रूप से मेधावी उम्मीदवारों की कमी के कारण पद खाली पड़े हैं। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका लगाई गई है।

3. मैंने उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षों के विद्वान परामर्श को सुना है।

4. पर्याप्त अवसर के बावजूद, उत्तरदाताओं द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

5. यह स्पष्ट होता है कि इसमें उठाया गया विवाद एक बहुत ही संकीर्ण दिशा में निहित है, अर्थात, (क) क्या तलाकशुदा और/या विधवा की श्रेणी में विज्ञापित पद या तो पर्याप्त संख्या में तलाकशुदा की अनुपलब्धता की स्थिति में विनिमेय हैं या इसके विपरीत, यदि पर्याप्त संख्या में विधवाएं उपलब्ध नहीं हैं? (बी) यदि उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या एक उम्मीदवार जो दूसरी श्रेणी का लाभ चाहता है, वह उस श्रेणी में कम योग्यता सूची का लाभ उठा सकता है, इसके बावजूद कि उसने अपनी मूल श्रेणी में अर्हता प्राप्त नहीं की किया है?

6. जहां तक उपरोक्त पहले प्रश्न का संबंध है, दोनों विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि विधवा या तलाकशुदा श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, विज्ञापन के खंड 5 के अनुसार विधवा और तलाकशुदा के बीच श्रेणी का आदान-प्रदान करने की बहुत अनुमति है। उस हद तक, चूंकि आम सहमति है, इसलिए विवाद का फैसला किया जाता है।

7. दूसरे प्रश्न पर ध्यान देने से पहले, यह ध्यान देना उचित है कि मेरे विद्वान भाई अरुण भंसाली, जे., जिनकी अध्यक्षता में इस

मामले पर पहले विचार किया गया था, की अध्यक्षता में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया जो 02.11.2023 दिनांकित है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"1. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि एक बार विधवा के लिए 14 पदों और तलाकशुदा के लिए 1 पद का विज्ञापन दिए जाने के बाद, विधवा श्रेणी में केवल 11 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है और बाकी पदों को अभी तक खाली रखा गया है, जिन्हें नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में तलाकशुदा उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है और जिस स्थिति में, उक्त तीन पदों को तलाकशुदा उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है, क्या याचिकाकर्ता उस श्रेणी में योग्यता में खड़ा होगा।

2. याचिका को 06.11.2023 को सूचीबद्ध करें।"

8. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के ऊपर, यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में विधवा श्रेणी में पद खाली पड़े हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह 2 या 3 पद हैं या नहीं। जहां एक ओर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि 3 पद खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उनके निर्देशों के अनुसार केवल 2 पद खाली पड़े हैं।

9. जो भी हो, उपरोक्त दूसरे प्रश्न पर लौटते हुए, एक बार विज्ञापित खंड 5 के अनुसार श्रेणियों के विनिमेय होने के बाद, भर्ती एजेंसी की ओर से यह अनिवार्य है कि, उनके द्वारा रखी गई योग्यता सूची के अधीन, अगले योग्य उम्मीदवार, चाहे वह विधवा या तलाकशुदा श्रेणी से हो, को तब तक पद की पेशकश की जानी चाहिए जब तक कि सभी पद समाप्त नहीं हो जाते। दूसरे शब्दों में, केवल उस स्थिति में, जब कोई उम्मीदवार या तो पात्र नहीं है और/या मेधावी नहीं है, उस श्रेणी के कट-ऑफ अंकों से नीचे है जिसमें उसे उस श्रेणी

में पर्याप्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उसे अपनी श्रेणी बदलकर समायोजित करने के उसके दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।

10. वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को विधवा श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक, यानी 197, मिले हैं, जिसने 110 अंक प्राप्त किए हैं। उस हद तक, उनकी योग्यता विवाद में नहीं है। एकमात्र विवाद यह है कि क्या उसे विधवा की श्रेणी में माना जा सकता है, जिसने तलाकशुदा श्रेणी में कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 203 बताए गए हैं।

11. मेरे द्वारा ऊपर की गयी चर्चा के परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बार जब तलाकशुदा की श्रेणी को खाली पद का लाभ देकर विधवा में स्थानांतरित करना पड़ता है, तो उसकी योग्यता पर विधवा श्रेणी में कट-ऑफ अंकों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि इसके परिणामस्वरूप एक असंगत स्थिति पैदा हो सकती है जहां विधवाओं ने याचिकाकर्ता की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हों, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की है, इसलिए उन्हें जूनियर माना जा सकता है क्योंकि तलाकशुदा श्रेणी में कट-ऑफ अंक बहुत अधिक हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि विभाग तलाकशुदा और विधवाओं के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूची बना रहा है, तो तलाकशुदा जिसे विधवा की श्रेणी में कम कट-ऑफ अंकों का लाभ दिया गया है, उसे विधवाओं की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

12. इस स्तर पर, न्यायालय के प्रश्न पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश हुए श्री पंकज शर्मा, ए. ए. जी. ने कहा कि विधवाओं और तलाकशुदा दोनों श्रेणियों के लिए नियुक्ति के बाद एक सामान्य

वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता, जो तलाकशुदा श्रेणी से है, को विधवा श्रेणी में नियुक्ति का लाभ दिया जाता है, तो विधवाओं के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा।

13. परिणामस्वरुप, रिट याचिका को प्रतिवादियों को विधवा श्रेणी में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि यह उनकी योग्यता के अनुसार हो। यदि यह पाया जाता है कि तलाकशुदा श्रेणी में ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पहले उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा, और यदि कोई शामिल नहीं होता है, तो ही याचिकाकर्ता को उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा रखी गई योग्यता सूची के क्रम में नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।